उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन–456010 (म.प्र.)

<u>ई–निविदा प्रपत्र</u>

इन्सुलेटेड टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु ई–निविदा

निविदा प्रपत्र क्रमांक/उ.दु.स./सं.सं./2020/5233 दिनांक : 28.12.2020.

ई–निविदा खुलने की दिनांक– 15.02.2021

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
मक्सी रोड, उज्जैन– 456010 (म.प्र.)
फोन नं. : (0734) 2527071, Mob. 94259-18521,
E-mail : udsplant@yahoo.com

निविदा प्रपत्र का मूल्य रू. 1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071, Mobile 94259-18507, 90090-76375
E-mail: udsplant@yahoo.com, po_uds@sanchidairy.com

क्रमांक/उ.स.दु.सं./सं.सं./2020/5233 **दिनांक : 28.12.2020**

ई–निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर (क्षमता 19000 के.एल.) के लिए दुग्ध संघ के समस्त दुग्ध शीतकेन्द्रों/दुग्ध संयंत्रों से मुख्य संयंत्र, उज्जैन के अतिरिक्त म.प्र. राज्य के अंदर तथा म.प्र. राज्य के बाहर विभिन्न स्थानों पर तरल दूध परिवहन हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। ई–निविदा के नियम एवं शर्ते, टैंकर्स की जानकारी एवं स्थान आदि के विवरण हेतु राशि रूपये 1,000.00 (रू. एक हजार मात्र) ऑनलाइन भरकर दिनांक 20.01.2021 से म.प्र. ई–टेंडर्स के पोर्टल www.mptenders.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित अमानत राशि सहित अपलोड की गयी निविदा दिनांक 15.02.2021 को गठित समिति के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा संबंधी जानकारी एम.पी.सी.डी. एफ की वेब साईट www.mpcdf.gov.in/www.sanchidairy.com पर उपलब्ध हैं। शेष शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375
E-mail: udsplant@yahoo.com, po_uds@sanchidairy.com

An ISO-9001 : 2000 & ISO 22000 : 2005

क्रमांक/उ.स.दु.सं./सं.सं./2020/5233 दिनांक : 28.12.2020

	<u>निविदा प्रपत्र</u> निविदा कार्य – उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के दुग्ध संयंत्रो एवं शीत केन्द्रों से म.प्र. राज्य में एवं राज्य के बाहर दुग्ध परिवहन हेतु कार्य।	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू. 1,000/– (अक्षरी– रूपये एक हजार मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांकः 20.01.2021 दोपहर 3.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः 14.02.2021 सुबह 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	ई–निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांकः 14.02.2021 दोपहर 12.30 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई–निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांकः 15.02.2021 दोपहर 3.30 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
5.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म0प्र0) 456010
7.	अमानत राशि (केवल ऑनलाईन ही जमा करें)	रू. 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र)
8.	संलग्न प्रपत्र :–	
	01– परिशिष्ट–(अ)	कार्य विवरण एवं रोड़ मिल्क टैंकर की आवश्यकता संबंधी विवरण।
	02– परिशिष्ट–(ब)	सामान्य नियम एवं शर्ते।
	03– परिशिष्ट–(स)	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्ते।
	04– परिशिष्ट–(द)	तकनीकी प्रपत्र (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्त्ता को भरना हैं।)
	05– परिशिष्ट–(ई)	दर प्रपत्र।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT
Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375
E-mail: udsplant@yahoo.com, po_uds@sanchidairy.com

क्रमांक/उ.स.दु.सं./सं.सं./2020/5233 दिनांक : 28.12.2020

परिशिष्ट – (अ)

कार्य का विवरण

दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र उज्जैन, देश व प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्रो तक एंव देश व प्रदेश के अन्य निजी दुग्ध संयंत्रो तक एवं 19000 के.एल. क्षमता के इन्सुलेटेड रोड़ मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर लगाने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से तीन वर्ष की अवधि के लिये आनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है । निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होगे। **अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगने वाले सभी व्ययों (टोल टैक्स अतिरिक्त) को समावेश कर रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें समस्त व्यय सहीत on line प्रस्तुत की जाए।**

(ब) रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरो की अनुमानित मांग (संख्या)
1	19000 कि.ग्रा.	दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र उज्जैन देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्रो तक एंव देश प्रदेश के अन्य निजी दुग्ध संयंत्रो तक	15

नोट :– मांग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

<u>परिशिष्ट</u> –(ब)

दुग्ध परिवहन हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते।

1. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के कार्यकारिणी सदस्यों एवं कर्मचारियों के परिवार जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई–बहन को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी। अतः निविदाकार को इस बावत् पृथक से नोटराइज्ड शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होगे। प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लैक लिस्टेड परिवहनकर्ता को भी निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।
3. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होगें।
4. निविदाकार के स्वयं या परिवार सदस्य (म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम–1960 की धारा–2 (आई) के अनुसार) के नाम का वाहन होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार (व्यस्क व्यक्ति के नाम) से ही टैंकर का पंजीयन हो। वाहन के कागजात जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत भाग (तकनीकी निविदा खुलने के समय) खोली नहीं जावेगी तथा ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
5. प्रतिभूति राशि रूपये 3,00,000/–(तीन लाख) मात्र का ऑनलाईन निविदा के साथ निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य है। प्रतिभूति राशि के बिना प्रस्तुत निविदाओं को प्राथमिक स्तर पर ही अमान्य किया जायेगा। उक्त प्रतिभूति राशि का समायोजन निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित सफल निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में समायोजित की जावेगी अर्थात् सुरक्षा निधि जो रू. 7,00,000/– (रू सात लाख मात्र) है, के विरूद्ध रू. 3.00 लाख का समायोजन किया जा सकेगा। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राााशि ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात एक माह में वापिस कर दी जावेगी। प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
6. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदारी की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुखत्यारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा ।
7. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जायेगी ।
8. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः तीन वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने एवं वाहनों की स्थिति तथा इन्सुलेशन संतोषप्रद पाए जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् परिवहनकर्ता की सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जा सकेगी।
9. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। <u>वर्ष 2015</u> से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

10. स्वयं के नाम पर कम से कम पाँच टैंकरों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, पाँच से कम टैंकरों के रजिस्ट्रेशन होने पर निविदा भरी नहीं जा सकती है, एवं अन्य वांछित टैंकरों की व्यवस्था संघ की अवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।

11. **निविदा प्रस्तुतीकरण :**

–11.01 निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्तुत करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रू 1000/–(रू. एक हजार मात्र) ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

–11.02 निविदा हेतु आवश्यक प्रतिभूति राशि रूपये 3,00,000/– (तीन लाख मात्र) निविदा के साथ ऑनलाईन ही जमा करना अनिवार्यतः है।

–11.03 निविदा संबधित समस्त तकनीकी दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करना अनिर्वाय है। अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत तकनीकी दस्तावेजों को मान्य नहीं किया जावेगा।

–11.04 ऑनलाईन ई–निविदा दिनांक 14.02.2021 को दोपहर 12.30 बजे तक अनिवार्यतः क्रय कर जमा करना अनिवार्य है।

–11.05 दर प्रस्तुतीकरण निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य है।

12. एल–1 फर्म के Blacklist होने पर एल–2 से एल–1 की दर पर कार्य लिया जा सकेगा किन्तु यथाशीघ्र टेंडर जारी किये जाऐगे।

13. Fastag अनिवार्य है। Fastag Report में Toll Payment का ही भुगतान किया जावेगा अन्य कोई भुगतान देय नही होगा। मार्ग पर Fastag lane न होने पर अपवाद स्वरूप भुगतान किया जायेगा।

14. भण्डार एवं क्रय नियम – 2020 के बिन्दू क्रमांक 9.24 व भण्डार एवं क्रय नियम – 2011 के बिन्दू क्रमांक 5.4 के तहत एल–1 द्वारा टैंकर की प्रतिपूर्ति न कर पाने पर एल–2 से समान शर्तो अनुरूप एल–1 की दर पर, कार्य करवाया जा सकता है, इस हेतु एल–1 की सहमति आवश्यक होगी। एल–1 फर्म यदि टेंडर में मांगी गयी टैंकर संख्या की पूर्ति नही कर पायेगी तो उक्त फर्म पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ, उज्जैन द्वारा ई. एम.डी. व सुरक्षानिधि की राशि राजसात की जा सकती है।

15. निविदा स्वीकृति करने के पश्चात् टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की दशा में प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

16. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

17. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या बिना कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>परिशिष्ट</u> –(स)

<u>सफल स्वीकृत निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्ते :–</u>

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, टोल टैक्स व अन्य सभी खर्चो कें लिये स्वंय उत्तरदायी होगा, इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।

2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।

3. दुग्ध संयत्रों से समस्त शीत केंद्रों/बी.एम.सी समितियों की दूरियां संघ द्वारा सत्यापित कि.मी अनुसार ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जायेगा।

4. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को तत्काल कार्य से पृथक कर दिया जावेगा। टैंकर पर पाँच सील लगाने की व्यवस्था होना अनिवार्य है।

5. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर जी.पी.एस. सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो दुग्ध संघ द्वारा जी.पी.एस. के मूल्य की पांच गुना राशि पेनाल्टी स्वरूप वसूली की जायेगी। एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा।

6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त वाहनों का पंजीयन अनिवार्य होगा ।

7. शीतकेंद्रों/बी.एम.सी समिति से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैंपल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दुग्ध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सैंम्पल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तद्नुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा ।

   परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित् कर उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहॅुचायें एवं उसकी दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फैट एवं एस,एन,एफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा परिवहनकर्ता की सुरक्षा निधि राजसात कर ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा, उसे देश प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।

8. यदि टैंकर पर लगी सील/सीलों में कोई टेम्परिंग पाई जाती है तो दूध की मात्रा फैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी इस स्थिति में रू 20,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा इस कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जावेगी। साथ ही टैंकर परिवहन बंद कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसी स्थिती में सम्पूर्ण प्रतिभूती राशि भी राजसात की जा सकती है।

9. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहॉ अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।

10. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंक के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।

11. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलोडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व् परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।

12. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

13. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणामस्वरूप दूध का नुकसान होता है तो हानि की संपूर्ण राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जायेगी।

14. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 5,000/— दंड लगेगा जिसका मिलान सिक्योरिटी गेट के रजिस्टर से किया जायेगा।

15. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढ़ाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नही होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 30 मिनिट हेतु।

16. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

17. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना—जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार कार्यवाही की जावेगी। विशेष परिस्थिती में यदि मार्ग परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति दुग्ध संघ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

18. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरो की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।

19. परिवहनकर्ता को भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत टैंकर पर नियुक्त कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि व कर्मचारी राज्य बीमा की अंशदान राशि जमा करना अनिवार्य होगा। अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयकों/सुरक्षानिधि से वसूल कर

जमा की जावेगी जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी । इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

20. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।

21. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

(प) टैंकर के पीछे ''दुग्ध विक्रय हेतु नहीं है।'

(पप) टैंकर के दोनों ओर ''यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुए देखा जाये तो कृपया 94259–18521, 96859–45304 अथवा 90090–76375 नम्बर पर सूचित करें।

22. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।

23. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।

24. स्वीकृत निविदाकार(परिवहनकर्ता) को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/– के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

25. म.प्र. शासन द्वारा प्रति दिन डीजल दर निर्धारण की दशा में माह के पहले दिन (01 तारिख) की डीजल दर को पुरे माह की डीजल दर मानी जाकर, डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

19000 कि.ग्रा अथवा अधिक क्षमता ––––– 4.5 km/lit

26. 19000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले टैंकरों की आनुपातिक दर, 19000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है।

27. परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की अवधि तीन वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने एवं वाहनों की स्थिति तथा इन्सुलेशन संतोषप्रद पाए जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् परिवहनकर्ता की सहमति से एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जाएगी।

28. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर सॉची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा लेखन कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

29. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को यह पूर्ण अधिकार होगा कि कार्य संतोषप्रद होने एवं वाहनों की स्थिति तथा इन्सुलेशन संतोषप्रद पाए जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् परिवहनकर्ता की सहमति होने पर एक–एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर की जाएगी।

30. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मौखिक मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होगें ।

31. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रूपये 3,00,000/–** किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियो को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना

अनिवार्य होगा । प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके पश्चात् भी यदि चोरी/हेरा–फेरी में लिप्तता पाई जाती है, तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरूद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा **मुख्य कार्यपालन अधिकारी** द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा।

32. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू. 20,000/– का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
33. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा ।
34. यह कि टैंकर में सील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो (पाँच सील लगाने की व्यवस्था हो) ताकि टैंकर दूध एवं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके ।
35. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्त्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा **महाप्रबंधक (सं.सं.)** के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेरी प्लांट में पहुॅचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
36. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तो का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही कानूनी प्रक्रिया के तहत की जावेगी। यह कि किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की लिखित पूर्व सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
37. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा एवं विवाद सहकारी न्यायालय में निपटाये जायेगे।
38. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उस ट्रिप हेतु रूपये 50,000/–का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा ।
39. यह कि टैकरों की माँग घटाई बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
40. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
41. परिवहन देयकों के साथ Fastag Statemnt प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा। मार्ग पर Fastag lane न होने पर अपवाद स्वरूप भुगतान किया जायेगा।
42. परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक विगत माह का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विलंब होने पर संपूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी।
43. दुग्ध परिवहन से संबंधित किसी भी विवादित प्रकरण के निराकरण हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रस्तुत किया जाऐगा निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाऐगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071, Mobile No. 94259-18507, 90090-76375
E-mail: udsplant@yahoo.com, po_uds@sanchidairy.com

An ISO-9001 : 2000 & ISO 22000 : 2005

क्रमांक/उ.स.दु.सं./सं.सं./2020/5233 **दिनांक : 28.12.2020**

परिशिष्ट – (द)

तकनीकी प्रपत्र

1. निविदाकार का नाम – ....
2. पूरा पता – ....
3. फोन नं/ मोबाईल नं. – ....
4. ई–मेल आईडी – ....
5. अमानत राशि ऑलाईन जमा की रसीद (क्रमांक/दिनांक व छायाप्रति संलग्न करें) – ....
6. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजो की छायाप्रति संलग्न करें) – ....
7. रोडमिल्क टेंकर क्षमता – ....
8. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करे) – ....
9. किसी दुग्ध संघ : द्वारा काली सूची में नामित नही किया है इस सम्बंन्ध में शपथ पत्र रू. 100/– (नोटरी द्वारा सत्यापित) – ....
10. टैंकर का नियोजन किस कार्य हेतु किया जाना है। (बी.एम.सी से डेयरी संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र एवं अन्य दुग्ध संयंत्र) – ....
11. जी.एस.टी. नं. (छायाप्रति संलग्न करें) – ....
12. मॉडल तथा मेक – ....
13. FSSAI पंजीयन क्रमांक(छायाप्रति संलग्न करें) – ....

निविदा फार्म में वर्णित उज्जैन दुग्ध संघ के समस्त नियम व शर्ते पूर्णतः मान्य है ।

स्थान ....
दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदाकार
नाम –
मोबाइल नं.–

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071, 94259-18507, 90090-76375
E-mail: udsplant@yahoo.com, po_uds@sanchidairy.com

An ISO-9001 : 2000 & ISO 22000 : 2005

क्रमांक / उ.स.दु.सं. / सं.सं. / 2020 / 5233 दिनांक : 28.12.2020

परिशिष्ट –(ई)

दुग्ध परिवहन हेतु दर प्रस्ताव

क्र.	टैंकर की क्षमता		दर प्रति किलोमीटर		
			मध्यप्रदेश राज्य के अंदर		मध्यप्रदेश राज्य के बाहर
			कम दुरी हेतु मक्सी तक	अधिक दुरी हेतु	
01	19000 कि.ग्रा.	अंकों में	रू	रू	रू. ....
		शब्दों में	रू.	रू.	रू. ....

<u>नोट</u> :–

– उपरोक्त दरें समस्त व्यय / कर आदि सहित हैं तथा टोल टैक्स के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई टैक्स / 'कर' का भुगतान नहीं किया जावेगा।